जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 'Outreach और परिचय कार्यक्रम' में उद्घाटन भाषण

———

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं आज आप सबके बीच इस खूबसूरत शहर श्रीनगर में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। कश्मीर की आकर्षक वादियों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे इस कार्यक्रम में आप सभी जनप्रतिनिधियों से मुखातिब होना एक सुखद अनुभव है।

1. धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर जीवतंता, उत्साह और सुंदरता की भूमि है। इसकी प्राचीन लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत इसे विशिष्टता प्रदान करती हैं। प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ यहाँ के निवासियों की ऊर्जा तथा विविध कठिनाईयों के बीच कार्य के प्रति संकल्प शक्ति सबके लिए प्रेरणादायी है।

2. साथियो, लोकतंत्र और लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएं हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रहीं हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों के साथ स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं उपस्थित रही हैं। इससे पता चलता है कि चर्चा एवं संवाद से शासन चलाने की परंपरा हमारे देश में कितनी पुरानी रही है।

3. संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के माध्यम से इन्हीं प्राचीन परंपराओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए देश में विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। भारत जैसे विशाल तथा विविधतापूर्ण देश में सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि सभी लोकतान्त्रिक संस्थाएं सशक्त हों तथा विकास एवं समृद्धि को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में समर्थ हों।

4. इन संशोधनों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उनके विशेष दायित्व दिए गए हैं तथा उन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक शक्तियां भी दी गई हैं। इन कदमों के माध्यम से हम महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को पूर्ण करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।

5. आज हमारे देश में 2 लाख 60 हजार से अधिक पंचायतें हैं जिनमें 31 लाख 80 हजार से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। इन प्रतिनिधियों में 14 लाख 54 हजार (45 प्रतिशत से अधिक) निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं।

6. इनमें से 21 राज्य तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने राज्य के पंचायती राज अधिनियमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है तथा 14 राज्य ऐसे हैं जहां 50% से अधिक महिला प्रतिनिधि हैं।

7. इससे पता चलता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। यह एक अच्छा संकेत है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि जम्मू-कश्मीर की जिला विकास परिषद् के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों में 33% महिलाएं हैं।

8. मुझे इस बात का एहसास है कि आप सभी कठिन परिस्थितियों में अच्छा कार्य कर रहे हैं।

9. मुझे जानकारी मिली है कि वर्ष 2018 में हुए पंचायत आम चुनावों के बाद कई सरपंचों तथा अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई है अथवा उन्हें निशाना बनाया गया है।

10. ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बावजूद आप सभी लोकतान्त्रिक संस्थाओं को सशक्त करने के लिए, अपने क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, अपने लोगों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। आपकी प्रतिबद्धता तथा साहस सराहना योग्य है।

11. आपके प्रयासों से अंततः लोकतंत्र शक्तिशाली होगा एवं आपके क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित होगा।

12. इन्हीं कठिन चुनौतियों के बीच उत्कृष्ट कार्यों के लिए बारामुला के कंगरुसा, बड़गाम के हकेरमुला ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार तथा राज्य के कई अन्य पंचायतों को अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

13. यह दर्शाता है कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में आप लोकतंत्र को मजबूत बनाते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं।

14. हमारे गांव भारत के विकास और आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण आधार हैं। यदि हमारे ग्राम आत्मनिर्भरता के लिए कार्य करें तो इससे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को शक्ति मिलती है। गावों को आत्मनिर्भर बनाने में स्थानीय लोकतान्त्रिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

15. आपके क्षेत्र की विशिष्ट शिल्पकला है, हस्तकला है, अन्य उत्पाद हैं जिन्हें प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

16. कश्मीर अपने वस्त्र उत्पादों, कालीनों तथा कृषि उत्पादों जैसे सेब, केसर, ड्राइ फ्रूट इत्यादि के लिए विश्व-प्रसिद्ध है। आपके उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुचाने में लोकतान्त्रिक संस्थाएं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

17. वस्तुतः जमीनी स्तर की लोकतान्त्रिक संस्थाओं के निर्माण के पीछे यही उद्देश्य था कि किस प्रकार Local Strength को राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए तथा उनके माध्यम से समृद्धि को गाँव-गाँव तक पहुंचाया जा सके।

18. जब हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं तो उसका यह अर्थ नहीं है कि हम सीमाओं के भीतर बंध कर रह जाएं बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम विकास के पथ पर नए अवसरों को लाभ उठाते हुए आगे बढ़ें।

19. हम न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करें बल्कि वैश्विक बाजार में अपनी वस्तुओं की आपूर्ति करें। हमारा लक्ष्य वैश्विक Supply Chain का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना है। हमारे Skills, हमारी क्षमताएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

20. साथियो, कोरोना महामारी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। इस वैश्विक चुनौती ने लोगों के जीवन के साथ-साथ आजीविकाओं पर भी गहरा असर डाला है।

21. इस महामारी के नियंत्रण के लिए तथा भविष्य में इसकी फिर से कोई भयंकर वेव ना आए इसके लिए आपने गंभीर प्रयास किए हैं।

22. आपने न केवल प्रभावी तरीके से गांवों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका है अपितु इसके बारे में जागरूकता पैदा करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

23. मेरा आपसे आग्रह है कि कोरोना के टीकाकरण के विषय पर भी जनता में व्याप्त भ्रांतियों को दूर कर सभी eligible व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करें।

24. कोरोना ने हमारी आजीविका को प्रभावित तो किया ही है, परंतु उसने हमारे लिए नए अवसर भी उत्पन्न किए हैं। इन नए अवसरों का लाभ उठाने तथा इनके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपसे आग्रह है कि आप सरकार तथा निजी संगठनों के सहयोग से इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करें।

25. मित्रो, मेरा यह सदैव प्रयास रहा है कि देश भर की लोकतान्त्रिक संस्थाओं के साथ नियमित रूप से चर्चा की जाए, संवाद हो ताकि हम परस्पर अपने विचारों तथा अनुभवों को साझा कर सकें।

26. संसद के निचले सदन के अध्यक्ष के रूप में मेरा दायित्व है कि सभी लोकतान्त्रिक संस्थाओं के बेहतर कार्यकरण के लिए परस्पर चर्चा और संवाद की एक पद्धति बने। इससे देश में लोकतंत्र की जड़ें और अधिक गहरी हो सकेंगी तथा लोकतान्त्रिक संस्थाएं और अधिक सशक्त होंगी।

27. इस outreach पहल के अंतर्गत अभी तक तीन कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इस वर्ष जनवरी महीने में देहरादून में उत्तराखंड की पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ तथा उसके बाद फरवरी में

मेघालय के शिलांग में उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोकतान्त्रिक संस्थाओं के साथ भी एक Outreach कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

28. अभी 27 अगस्त को लेह में वहाँ की पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी विचार विमर्श किया गया है।

29. मेरे विचार में लोकतान्त्रिक संस्थाओं के बीच नियमित संवाद से हम एक दूसरे की संसदीय best practices के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सभी लोकतान्त्रिक संस्थाओं में किए जा रहे नवाचारों के विषय में जान सकते हैं तथा उनके आधार पर एक Model Develop कर सकते हैं। इस प्रकार के model से सभी लोकतान्त्रिक संस्थाएं अपने कार्यकरण में सुधार कर सकती हैं।

30. नियमित चर्चा एवं संवाद के माध्यम से लोकतंत्र में जनता की आस्था और विश्वास को और सशक्त करने में सहायता मिलती है।

31. हमारा यह दायित्व है कि स्थानीय स्वशासन का लाभ समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचे। इस उद्देश्य से सभा में व्यापक चर्चा हो तथा कार्यपालिका की प्रभावी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

32. मित्रों, आज का युग संचार का युग है। लोकतान्त्रिक संस्थाओं में संचार माध्यमों तथा IT के अधिक उपयोग से उनके कार्यों को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

33. ई-पंचायत तथा 'ई-ग्राम स्वराज' जैसे ऐप्लीकेशन आरंभ किए गए हैं जिससे Local Self Government के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है।

34. मेरा सुझाव है कि आप अपने कार्यों में ICT के साधनों तथा डिजिटल नवाचारों का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनता के लिए Accessible बनाया जा सके।

35. इस दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। सभी 2.5 लाख पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए, प्रत्येक गांव में फाइबर नेट की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य भारतनेट project के माध्यम से तेजी से हो रहा है।

36. साथियों, पंचायती राज संस्थाएं जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं, उन्हें उनकी कठिनाईयों तथा समस्याओं के साथ-साथ समाधानों का भी ज्ञान होता है। यदि वे प्रभावी रूप से अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर पाएं तो देश में लोकतंत्र को सशक्त करने में सहायता मिलेगी।

37. सामूहिकता तथा परस्पर चर्चा संवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। हम मिल-बैठकर सामूहिक चर्चा के माध्यम से विषयों पर संवाद करते हैं, एक दूसरे के साथ विचारों को साझा करते हैं और अंततः उपयुक्त निर्णयों पर पहुचते हैं।

38. यह आवश्यक है कि पंचायती राज संस्थाएं अपने कार्यकरण में समावेशी एवं सतत विकास, सहयोग और सामूहिकता के आदर्शों को अपनाएं। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे।

39. सभी पंचायतें और स्थानीय निकाय अपने ज्ञान, अनुभव और अपने बेस्ट Practices को आपस में साझा करने के लिए एक तंत्र विकसित करें ताकि नागरिकों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके।

40. मित्रो, कोई भी व्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती। सभी व्यवस्थाओं में हम अपने अनुभवों तथा फीडबैक प्रणाली के आधार पर वांछित परिवर्तन करते हैं।

41. पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण को भी इसी प्रकार आवश्यकतानुसार संशोधित करने की पद्धति विकसित करने की आवश्यकता है। इस विषय पर व्यापक विचार एवं संवाद के बाद निर्णय लेने की आवश्यकता है।

42. इसी प्रकार स्थानीय लोकतान्त्रिक संस्थाओं में महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की प्रभावी भागीदारी को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

43. हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में पंचायत संस्थाओं के स्वरूप में भिन्नता है परंतु उनका उद्देश्य जनता की सेवा और उनका कल्याण है।

44. लोकतंत्र के सशक्तीकरण के लिए Regional Aspiration के साथ-साथ National Integration भी आवश्यक है। हम स्थानीय विकास के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के लिए कार्य करें। राष्ट्र तभी विकसित होगा जब राष्ट्र का हर एक क्षेत्र विकसित होगा।

45. आप अपनी दृष्टि व्यापक रखें तथा देश के विभिन्न हिस्सों के Local Bodies द्वारा किए जा रहे शिक्षा, स्वास्थ्य, Women Empowerment, Organic Farming और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों को अंगीकृत करने का प्रयास करें। इससे विकास का एक नया मॉडेल तैयार होगा।

46. इस Model को भिन्न-भिन्न भौगोलिक स्थितियों के अनुसार ढाल कर कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी आपसी संवाद और चर्चा की जरूरत है।

47. लोकतंत्र में रचनात्मक चर्चा और संवाद के माध्यम से ही समाधान निकलते हैं। मेरे यहां आने का उद्देश्य इसी चर्चा और संवाद की प्रक्रिया को मजबूत करना है।

48. मुझे विश्वास है कि सकारात्मक दृष्टिकोण, स्थानीय स्तर की संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी और जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता से कश्मीर समृद्धि तथा विकास के एक नए युग में प्रवेश करेगा।

49. मैं आप सबको आपके भविष्य के कार्यों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

धन्यवाद।